न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 63/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मांगीलाल पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी लालाप तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 11.01.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 39/2019 सरकार बनाम मांगीलाल में निर्णय दिनांक 11.06.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.07.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु को विचाराधीन रखते हुए दिनांक 20.08.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 11.06.19 की फोटोप्रति, प्रकरण सं. 39/19 के फर्द अहकाम दिनांक 31.5.19 से 11.6.19 की फोटोप्रति, श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति तथा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि अपीलांट को अपना साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया। न ही किसी पटवारी व अन्य व्यक्तियो के बयान लिये गये तथा दिनांक 11.6.19 को अपीलांट ने अपना जवाब पेश किया। जिस पर कोई मनन नही किया गया एवं न ही अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिया। करीबन 20 दिना पश्चात बेक डेट दिनांक 11.6.19 को निर्णय पारित कर दिया गया। जिसकी अपीलांट को कोई सूचना नही हो सकी। अपीलांट कही दफा अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर आदेश की जानकारी हेतु पूछता रहा। मगर नही बताया गया। फिर अपीलांट को दिनांक 19.7.19 को दिनांक 11.6.19 मे निर्णय करने की बात कही गई। जिस पर अपीलांट द्वारा उसी दिन आवेदन पेश कर नकल प्राप्त की व दिनांक 20–21.7.19 को शनिवार व रविवार का अवकाश होने से दिनांक 22.7.19 व दिनांक 23.7.19 को अपील तैयार अपील पेश की। इसलिये अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा अंतिम बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.6.19 पूर्णतया अवैध विधि विरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया। जो निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–अपीलांट के विरूद्व ग्रामवासी लालाप की ओर से एक झूठी शिकायत पुरातन रास्ते को बंद करने के संबंध मे पेश की गई। मगर वास्तविक तथ्य तो यह है कि इसी स्थान पर कभी कोई किसी प्रकार का रास्ता न तो पूर्व मे चलता था। न ही वर्तमान मे चल रहा है। सभी शिकायतकर्ताओ के रास्ता लगता है। क्योकि शिकायतकर्ता के खेतो की खतोनी व मौके का जायजा लिया जावे तो सभी ग्राम वासियो के गैर मुमकिन खसरा नं. 573 लगता है। इसलिये ग्रामवासियों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कुछ ऐसे व्यक्ति है। जो सीधा व नया रास्ता चाहते है व अपीलांट के चुनावी रंजिश के कारण बिना वजह शिकायत कर आवेदन पेश किया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–जो आवेदन पेश किया गया है। उक्त आवेदन अधीनस्थ न्यायालय को सुनवायी का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत मे पेश होता है व ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पर मौका निरीक्षण कर बयान लेकर साक्ष्य सुनवायी के पश्चात 45 दिन मे निस्तारण करना आवश्यक होता है। पेतालीस दिन के पश्चात जैसी भी स्थिति मे उसके पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। उससे पूर्व सीधे ही प्रथम बार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डवा को इस प्रकरण एवं आवेदन पर प्रथम बार सुनवायी का क्षेत्राधिकार नही है। इसलिये कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार मुण्डवा ने दर्ज कर सुनवायी की कार्यवाही प्रारंभ कर जो आदेश पारित किया है। वह आदेश विधि विरूद्व है। ऐसी कार्यवाही प्रारंभ करने का व निर्णय करने का अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी अधिकार नही है। कानूनी प्रावधानो के तहत उक्त कार्यवाही एवं इससे संबंधित निर्णय पारित करना विधि के प्रावधानो की पालना नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

{2}(V)–खसरा नं. 544, 545 एवं खसरा नं 705/545, 898/705, 899/705 मौजा लालाप के संबंध मे माननीय संभागीय आयुक्त अजमेर मे अपील एलआर सं. 52/17 जिला नागौर अनवान मांगीलाल बनाम सदीक मो. वगैरा अपील अधीन धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विचाराधीन है तथा उक्त अपील मे दिनांक 27.9.17 से स्थगन आदेश जारी हो रखा है। जिसमे विवादित विचाराधीन खसरान के संबंध मे यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जा चुका है। इसलिये ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त प्रकरण की सुनवायी नही करनी चाहिये थी तथा न ही मौके पर जाकर किसी प्रकार का रास्ता कायम करना, खुलवाना, अवरोध हटवाना इत्यादि कार्यवाही संभागीय आयुक्त अजमेर के स्थगन आदेश होने से मौके व रेकर्ड मे किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती और न ही कोई आदेश पारित किया जा सकता था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश की खुलमखुला अवहेलना करते हुए तथा आदेश की धज्जिया उडाते हुए अवमानना की है। इसके लिये उनके विरूद्व अलग से कार्यवाही की जायेगी। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–ग्रामवासियो द्वारा जो आवेदन अपीलांट के विरूद्व पेश किया गया है। उसमे जिन लोगो ने खातेदारो ने झूठी शिकायत पेश कर बंद रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया है। उन सभी खातेदारान के गै.मु मगरा खसरा नं. 573 लगता है व अन्य खातेदारान शिकायतकर्ताओ के खेतो मे से आते जाते रहे है। अब उक्त सभी लोग मिलकर अपीलांट के खेत मे से जबरदस्ती नया व सीधा रास्ता बिना आवश्यकता के कायम करने पर आमादा है। इसलिये इन लोगो ने षडयंत्र पूर्वक दुरभि संधि के आधार पर आवेदन पेश कर पटवारी से मिलावट प्रलोभन देकर के मौका रिपोर्ट गलत रूप से बनवायी गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को राजनैतिक दबाव डलवाकर गलत निर्णय पारित करवाया गया है। इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

{2}(VII)–मौके पर जाकर निरीक्षण किया जावे कि अपीलांट के खेत मे से किसी प्रकार का कोई रास्ता था। न आज दिन चल रहा है। न ही रास्ते के अलामात मौजूद है। जहां से रास्ता चलता है। वहां पर मौके पर अलामात है व चल रहा है। जो आपसी खेतो मे से आते जाते रहे है। शिकायतकर्ताओ के रास्ता चल रहा है। मौका रिपोर्ट अपीलांट के बिना जानकारी बाले बाले ही मौके पर आये बिना ही बनायी गयी है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि ग्रामवासी लालाप द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे ग्राम लालाप के खसरा नं. 527, 548, 554, 546, 555, 763/549, 764/550, 757/558, 551 व 542 करीब पचास खेतो के आने जाने का रास्ता खसरा नं. 544 के खातेदार अपीलांट मांगीलाल द्वारा बंद कर दिये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 के तहत मामला दर्ज कर अपीलांट की सुनवाई के पश्चात आदेश जैर अपील पारित किया गया है तथा दिनांक 3.8.19 को खसरा नं. 544 व 537 मे किये गये अवरोध को हटाया भी जा चुका है। संभागीय आयुक्त न्यायालय मे अपील 705/545, 898/705, 899/705, 544 तथा 545 खसरा नं. को लेकर है। जिसमे स्थगन आदेश दिनांक 27.9.17 आगामी तारीख पेशी 28.11.17 तक के लिये जारी किया गया था। उक्त आदेश वर्तमान मे प्रभावी नही है तथा उक्त अपील की नवीनतम स्थिति क्या है, ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम 45 दिन तक कदीमी रास्तो के प्रकरण सुनवाई के अधिकार पूर्व मे राज्य सरकार द्वारा दिये गये थे। जो वर्ष 2009 मे वापस ले लिये गये है तथा इसके पश्चात इस प्रकार के मामलो की प्रथम सुनवाई का अधिकार तहसीलदारो को ही निहित है। अपीलांट द्वारा मौजा लालाप में स्थित कदीमी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। वकील अपीलांट का कथन रहा है कि प्रथम 45 दिन तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत रास्ते से संबंधित विवाद की सुनवाई हेतु अधिकारिता ग्राम पंचायत की रहती है। इसके पश्चात ही तहसीलदार की निस्तारण अधिकारिता बनती है। पूर्व मे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.09.82 से ग्राम पंचायत को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मामलो मे उनके समक्ष किये गये आवेदन पत्र को 45 दिन के अंदर निर्णीत करने के अधिकार दिये गये थे। जो राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.3(2)राजस्व–6/2003/पीटी/18 दिनांक 06.07.09 के द्वारा पूर्व अधिसूचना दिनांक 04.09.82 को ग्राम पंचायत को दिये गये अधिकार निरस्त किये जा चुके है। इससे स्वतः ही इस अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो पर सुनवाई की अधिकारिता तहसीलदार की बनती है। इसके विपरीत तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करते ही सुनवाई के अधिकार नही हो, इस संबंध मे कोई नवीनतम परिपत्र/नियम प्रस्तुत नही किये गये है। न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर मे प्रकरण सं. 52/2017 मांगीलाल बनाम सादिक मोहम्मद मे दिनांक 27.9.17 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के अन्तर्गत उनके प्रार्थना पत्र सं. 23/2017 सदीक मोहम्मद बनाम मांगीलाल जो कि पत्थरगढी से संबंधित है, मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.11.17 तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। इसके पश्चात उक्त आदेश को विस्तारित किया गया हो अथवा वर्तमान मे अपील किस स्टेज पर है, ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 3.8.19 के अनुसार खसरा नं. 705/545 को छोडते हुए शेष रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके लालाप की भूमि पर अपीलांट का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर